

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या :- 09/20

तारीख 30-1-20

01. जगदीशचंद्र पिता कजोड जाति धाकड उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी फतेहनगर तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)
02. नरेश कुमार पिता मांगीलाल जाति धाकड उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी फतेहनगर तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)
03. अनिल कुमार पिता सुगनलाल जाति धाकड निवासी कल्याणपुरा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)
04. प्रदीप कुमार पिता प्रभुलाल जाति धाकड निवासी कल्याणपुरा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)

.....प्रार्थीगण

बनाम

01. मोहनी पत्नि पन्नालाल जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी उम्मेदपुरा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

.....विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 – 128 रा0ले0रे0एक्ट

—: आदेश :-

दिनांक: 4/11/20

प्रार्थना पत्र जगदीशचन्द्र पिता कजोड, नरेश कुमार पिता मांगीलाल जाति धाकड निवासी फतेहनगर, अनिल कुमार पिता सुगनलाल, प्रदीप कुमार पिता प्रभुलाल जाति धाकड निवासी कल्याणपुरा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.) ने जरिये अभिभाषक श्री रामफूल धाकड प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते भूमि मौजा आंटी पटवार हल्का गुढा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 53 पर अंकित आराजी संख्या 489/2 रकबा 5-00 बीघा भूमि पर विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते है। अतः पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावे साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2074-2077 के अवलोकन से प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार है। पड़ौसियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। भू-अभिलेख निरीक्षक कांस्या को पत्थरगढी बाबत् कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमीश्नर फीस 500/- रुपये तय की जाती है वक्त मौका प्रार्थी अदा करें।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किया जाकर मौजा आंटी पटवार हल्का गुढा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 53 पर अंकित आराजी संख्या 489/2 रकबा 5-00 बीघा भूमि बशामलात पड़ौसियान के पत्थरगढी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढी शुल्क राशि 100/- रुपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावे।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया


उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला
भीलवाड़ा